मध्यप्रदेश शासन

सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक एफ 3-5/2018/26-2 भोपाल, दिनांक 03 / 05 /2018

प्रति,

1. समस्त संभागायुक्त, म.प्र.
2. समस्त कलेक्टर, म.प्र.
3. समस्त आयुक्त नगर निगम, म.प्र.
4. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, म.प्र.
5. समस्त संयुक्त/उप संचालक, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण, म.प्र.
6. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, म.प्र.
7. समस्त मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर पालिका/नगर परिषद, म.प्र.।

विषय :- मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन स्वीकृत एवं प्रदाय करने के संबंध में।

संदर्भ :- इस विभाग का समसंख्यक आदेश, दिनांक 06.04.2018

माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा क्रमांक बी-4113 के परिपालन में प्रदेश में निवासरत् कल्याणी को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने व जीवन निर्वाह हेतु प्रतिमाह आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से **'मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन योजना'** प्रारंभ की गई है।

2. मुख्यमंत्री कल्याणी योजना लागू होने की दिनांक से सामाजिक सुरक्षा विधवा पेंशन में पूर्व से लाभांवित समस्त विधवा (कल्याणी) महिलाओं को सम्मिलित किया जाकर लाभ यथावत दिया जाता रहेगा।

3. पेंशन राशि -

योजनांतर्गत 18 वर्ष से 79 आयु की कल्याणी को प्रतिमाह राशि रूपये 300/- एवं 80 वर्ष से अधिक आयु होने पर प्रतिमाह 500/- रूपये की पेंशन दी जाएगी।

4. मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन योजनांतर्गत पात्रता के मापदण्ड निम्नानुसार होंगे :-

4.1 कल्याणी मध्यप्रदेश की मूल निवासी हो,

4.2 कल्याणी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष या अधिक हो,

4.3 कल्याणी आयकरदाता न हो,

4.4 शासकीय कर्मचारी/अधिकारी न हो (शासकीय कर्मचारी/अधिकारी से अभिप्राय राज्य या केन्द्र सरकार या शासन हित पोषित निगम, उपक्रम, संस्था के अधीन कार्यरत कर्मचारियों/ अधिकारियों से है।)

.....2

4.5 कल्याणी परिवार पेंशन प्राप्त न कर रही हो,

4.6 योजनांतर्गत बी.पी.एल. का बंधन आवश्यक नहीं है,

4.7 कल्याणी अन्य कोई पेंशन योजना का लाभ प्राप्त नहीं कर रही हो,

5. आवश्यक दस्तावेज

5.1 मूल निवासी प्रमाण पत्र।

5.2 पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र।

5.3 कल्याणी की 9 अंको की समग्र आईडी।

5.4 आयु प्रमाण पत्र।

5.5 बैंक पासबुक की छायाप्रति।

5.6 कल्याणी का आयकरदाता न होने का स्व प्रमाणित घोषणा पत्र।

5.7 कल्याणी द्वारा शासकीय कर्मचारी/अधिकारी न हो का स्व प्रमाणित घोषणा पत्र।

5.8 कल्याणी द्वारा परिवार पेंशन प्राप्त नहीं हो रही हो का इस आश्य का स्व प्रमाणित घोषणा पत्र।

नोट : 5.6 से 5.8 तक के स्व प्रमाणित घोषणा पत्र प्रारूप परिशिष्ट-ब अनुसार है।

6. आवेदन करने एवं आवदेन निराकरण की प्रक्रिया

ग्रामीण क्षेत्र :-

- आवेदिका द्वारा निर्धारित प्रारूप (परिशिष्ट-अ पर संलग्न) में योजना के लिये आवश्यक दस्तावेजों सहित आवेदन मुख्य कार्यपालन अधिकारी के कार्यालय अथवा ग्राम पंचायत में जमा किया जावेगा।
- आवेदिका द्वारा समग्र पेंशन पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन भी किया जा सकता है।
- ऑफलाईन पूर्ण आवेदन करने पर आवेदिका को कार्यालय द्वारा पावती अनिवार्यतः (परिशिष्ट- स) दी जायेगी।
- उपरोक्तानुसार ऑनलाईन अथवा ऑफलाईन प्राप्त आवेदनों में जनपद पंचायत/ ग्राम पंचायत द्वारा आवेदन के साथ प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों की जांच की जायेगी।
- ऑफलाईन प्राप्त आवेदनों को ग्राम पंचायत/ जनपद पंचायत द्वारा समग्र पेंशन पोर्टल (http://pensions.samagra.gov.in) पर ऑनलाईन किया जावेगा।
- जांच उपरांत दस्तावेज सही नहीं पाये जाने पर नियमानुसार आवेदन को कारण सहित निरस्त करते हुए लिखित में सूचना आवेदिका को दी जावेगी व अस्वीकृत आदेश (परिशिष्ट-द) रिकार्ड में संधारित किया जावेगा।
- जांच उपरांत दस्तावेज सही पाये जाने पर नियमानुसार पेंशन प्रकरण स्वीकृत किया जायेगा।

.....3

- पेंशन स्वीकृत होने पर जनपद पंचायत/ग्राम पंचायत द्वारा उक्त माह में पेंशन प्रपोजल में हितग्राही का नाम जोडा जायेगा व स्वीकृत आदेश (परिशिष्ट-इ) रिकार्ड में संधारित किया जावेगा।
- संचालनालय द्वारा सिंगल क्लिक के माध्यम से उक्त माह से प्रतिमाह कल्याणी के बैंक बचत खाते में सीधे राशि जमा की जावेगी।

शहरी क्षेत्र :-

- आवेदिका द्वारा निर्धारित प्रारूप (परिशिष्ट-अ पर संलग्न) में योजना के लिये आवश्यक दस्तावेजों सहित आवेदन आयुक्त नगर निगम/ मुख्य नगर पालिका अधिकारी के कार्यालय अथवा वार्ड कार्यालय में जमा किया जावेगा।
- आवेदिका द्वारा समग्र पेंशन पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन भी किया जा सकता है।
- ऑफलाईन पूर्ण आवेदन करने पर आवेदिका को कार्यालय द्वारा पावती अनिवार्यत: (परिशिष्ट-स) दी जायेगी।
- उपरोक्तानुसार ऑनलाईन अथवा ऑफलाईन प्राप्त आवेदनों में जनपद पंचायत/ ग्राम पंचायत द्वारा आवेदन के साथ प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों की जांच की जायेगी।
- ऑफलाईन प्राप्त आवेदनों को आयुक्त नगर निगम/ मुख्य नगर पालिका अधिकारी के कार्यालय अथवा वार्ड कार्यालय द्वारा समग्र पेंशन पोर्टल (http://pensions.samagra.gov.in) पर ऑनलाईन किया जावेगा।
- जांच उपरांत दस्तावेज सही नहीं पाये जाने पर नियमानुसार आवेदन को कारण सहित निरस्त करते हुए लिखित में सूचना आवेदिका को दी जावेगी व अस्वीकृत आदेश (परिशिष्ट-द) रिकार्ड में संधारित किया जावेगा।
- जांच उपरांत दस्तावेज सही पाये जाने पर नियमानुसार पेंशन प्रकरण स्वीकृत किया जायेगा।
- पेंशन स्वीकृत होने पर आयुक्त नगर निगम/ मुख्य नगर पालिका अधिकारी के कार्यालय द्वारा उक्त माह में पेंशन प्रपोजल में हितग्राही का नाम जोडा जायेगा व स्वीकृत आदेश (परिशिष्ट-इ) रिकार्ड में संधारित किया जावेगा।
- संचालनालय द्वारा सिंगल क्लिक के माध्यम से उक्त माह से प्रतिमाह कल्याणी के बैंक बचत खाते में सीधे राशि जमा की जावेगी।

.....4

7. पेंशन स्वीकृति हेतु प्राधिकृत अधिकारी

क्षेत्र	अधिकारी	समयावधि
(1)	(2)	(3)
ग्रामीण क्षेत्र के लिए	ग्राम पंचायत सचिव / मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत	15 कार्य दिवस
नगरीय क्षेत्र के लिए	आयुक्त, नगर निगम मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर पालिका/ नगर परिषद	15 कार्य दिवस

8. अपीलीय अधिकारी

क्षेत्र	प्रथम अपीलीय अधिकारी	समयावधि	दवितीय अपीलीय अधिकारी	समयावधि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
ग्रामीण क्षेत्र मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व	30 कार्य दिवस	कलेक्टर	30 कार्य दिवस
नगरीय क्षेत्र आयुक्त, नगर निगम	कलेक्टर	30 कार्य दिवस	संभागीय आयुक्त	30 कार्य दिवस
मुख्य नगर पालिका अधिकारी,नगर पालिका/ नगर परिषद	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व	30 कार्य दिवस	कलेक्टर	30 कार्य दिवस

9. आवेदक को उसके दवारा आवेदन प्रस्तुत करने के साथ ही उसे अभिस्वीकृति प्रदाय की जावेगी। अभिस्वीकृति का प्रारूप संलग्न है। (परिशिष्ट-ई)

10. अधिसूचित सेवाओं के आवेदन पंजीयन करने हेतु मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी (आवेदन, अपील, पुनरीक्षण, शास्ति की वसूली तथा प्रतिकर का भुगतान) अधिनियम, 2010 के नियम-16 में निर्धारित पंजी (रजिस्टर) का संधारण किया जाना चाहिए। (परिशिष्ट-उ)

.....5

11. **बजट प्रावधान**

योजना का क्रियान्वयन विभाग द्वारा समग्र सामाजिक सुरक्षा विधवा पेंशन में बजट प्रावधान किया जाकर कराया जावेगा।

स्पष्टीकरण : सामाजिक सुरक्षा परित्यक्तता पेंशन योजना के अंतर्गत परित्यक्त महिलाओं को पूर्व की भांति पात्रतानुार पेंशन का लाभ दिया जायेगा।

3/5/18

(चन्द्रकान्त कश्यप)
अवर सचिव,
सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन
कल्याण विभाग

पृ.क्रमांक एफ 3-5/2018/26-2 भोपाल, दिनांक / 05 /2018

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश।
2. अपर मुख्य सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मध्यप्रदेश।
3. प्रमुख सचिव, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग।
4. प्रमुख सचिव, नगरीय प्रशासन एवं आवास विभाग।
5. प्रमुख सचिव, लोक सेवा प्रबंधन विभाग, भोपाल की ओर लोक सेवा प्रबंधन की वेबसाईट पर आवश्यक संशोधन हेतु।
6. आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण, मध्यप्रदेश, भोपाल।
7. आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास, मध्यप्रदेश, भोपाल।
8. आयुक्त, पंचायतीराज संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
9. मिशन संचालक, मध्यप्रदेश समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन मध्यप्रदेश।
10. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
11. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण।
12. निज सचिव, माननीय राज्यमंत्रीजी, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण।
13. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एनआईसी, मध्यप्रदेश, भोपाल।
14. प्रोग्रामर, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण संचालनालय की ओर विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

3/5/18

अवर सचिव,
सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन
कल्याण विभाग

मध्यप्रदेश शासन

सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग

// पेंशन हेतु आवेदन प्रारूप / /

प्रति,

1. ग्राम पंचायत सचिव/ मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
   ग्राम पंचायत ....
   जनपद पंचायत, ...
   जिला ....मध्यप्रदेश।

कल्याणी का फोटोग्राफ

2. आयुक्त/मुख्य नगरपालिका अधिकारी,
   नगर निगम/नगर पालिका/नगर परिषद, ...
   जिला .... मध्यप्रदेश।

विषय :- मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन स्वीकृत एवं प्रदाय करने बावत।

----

1. कल्याणी की 9 अंको की समग्र आईडी क्रमांक
2. कल्याणी का 12 अंको का आधार कार्ड नम्बर (यदि हो तो)
3. कल्याण का बीपीएल कार्ड नम्बर (यदि हो तो)
4. कल्याणी का नाम ....
5. स्व. पति का नाम ....
6. जाति वर्ग ....

एससी	एसटी	ओबीसी	सामान्य

7. कल्याणी का जन्म तिथि ....../......../.......आयु...............
8. कल्याणी का मोबाईल नम्बर ....
9. स्व. पति के मृत्यु पंजीयन का क्रमांक .... एवं दिनांक ....
10. कल्याणी के मूल निवासी स्थान व पूर्ण पता..
    ....
11. परिवार की वार्षिक आय ....
12. क्या कल्याणी आयकरदाता है ? हां / नहीं
13. क्या कल्याणी शासकीय कर्मचारी/अधिकारी है ? हां / नहीं
14. क्या कल्याणी को परिवार पेंशन प्राप्त हो रही है ? हां / नहीं
15. क्या कल्याणी को अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त हो रही है ? हां / नहीं
16. कल्याणी का बचत खाता नम्बर की जानकारी

बचत खाता नम्बर	बैंक का नाम व पता	आईएफएस कोड नम्बर

कल्याणी के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

:: स्व प्रमाणित घोषणा पत्र ::

मैं .... पति .... निवासी .... सत्यनिष्ठा से यह घोषणा करती हूं, कि मैं

1. मध्यप्रदेश के मूल निवासी हूं,
2. मेरी आयु 18 वर्ष से अधिक है,
3. आयकरदाता नहीं हूं,
4. शासकीय कर्मचारी/अधिकारी नहीं हूं,
5. मुझे किसी प्रकार की परिवार पेंशन प्राप्त नहीं हो रही है,

ऊपर बताई गई जानकारी व आवेदन पत्र में उल्लेखित जानकारी सही है। यदि ऊपर लिखी जानकारी असत्य पाई जाती है तो मेरा आवेदन निरस्त किया जा सकता है।

दिनांक ....
स्थान ....

आवेदिका के हस्ताक्षर/
अंगूठे का निशान

:: पावती ::

कार्यालय ग्राम पंचायत/ जनपद पंचायत/नगर निगम/नगर पालिका/नगर परिषद

...............................जिला ....म.प्र

क्रमांक ....   दिनांक ....

श्रीमती... समग्र आईडी .... पति... समग्र आईडी .... निवासी ग्राम/नगर... तहसील/विकासखण्ड.. जिला ....म.प्र. द्वारा मुख्यमंत्री कल्याण पेंशन योजना के लिए किया गया आवेदन पत्र मेरे द्वारा प्राप्त किया गया।

दिनांक ....

स्थान ....

नाम/पदनाम/हस्ताक्षर

ग्राम पंचायत/ जनपद पंचायत/नगर निगम/

नगर पालिका/नगर परिषद

जिला ....मध्यप्रदेश

// अस्वीकृति आदेश //

कार्यालय ग्राम पंचायत/ जनपद पंचायत/नगर निगम/नगर पालिका/नगर परिषद

................................जिला ....म.प्र

क्रमांक ....   दिनांक ....

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती.. पति... निवासी ग्राम/नगर .... तहसील/विकासखण्ड.. जिला ....म.प्र. द्वारा मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन योजना के लिए प्राप्त आवेदन पत्र का परीक्षण मेरे द्वारा किया गया है।

2. परीक्षण उपरांत निम्न कारणों व दस्तावेजों के न होने के कारण आवेदिका को मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन योजना का आवेदन अस्वीकृत किये जाने की अनुशंसा की जाती है :-

1	मध्य प्रदेश का मूल निवासी प्रमाण पत्र	हां/ नही
2	कल्याणी के पूर्व पति का मृत्यु का प्रमाण पत्र	हां/ नही
4	कल्याणी की 9 अंको की समग्र आईडी	हां/ नही
5	कल्याणी की आयु प्रमाण पत्र	हां/ नही
6	कल्याणी की बैंक पासबुक की छायाप्रति जिसमें खाता क्रमांक व आईएफएस कोड स्पष्ट प्रदर्शित हो	हां/ नही
8	कल्याणी का आयकरदाता न होने का स्वप्रमाणित घोषणा पत्र	हां/ नही
9	कल्याणी द्वारा शासकीय कर्मचारी/अधिकारी न हो का स्व प्रमाणित घोषणा पत्र	हां/ नही
10	कल्याणी द्वारा परिवार पेंशन प्राप्त नहीं हो रही हो का इस आश्य का स्व प्रमाणित घोषणा पत्र	हां/ नही
12	कल्याणी के पासपोर्ट साईज के दो-दो फोटोग्राफ	हां/ नही

दिनांक ....
स्थान ....

नाम/पदनाम/हस्ताक्षर
ग्राम पंचायत/ जनपद पंचायत/नगर निगम/
नगर पालिका/नगर परिषद
द्वारा अधिकृत अधिकारी

// स्वीकृति आदेश //

कार्यालय ग्राम पंचायत/ जनपद पंचायत/नगर निगम/नगर पालिका/नगर परिषद

................................जिला ....म.प्र

क्रमांक .... दिनांक ....

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती... पति.. निवासी ग्राम/नगर .... तहसील/विकासखण्ड.. जिला ....म.प्र. द्वारा मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन योजना के लिए प्राप्त आवेदन पत्र का परीक्षण मेरे द्वारा किया गया है।

परीक्षण उपरांत निम्न कारणों से आवेदिका को मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना स्वीकृत किये जाने की अनुशंसा की जाती है :-

- मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन योजना में निर्धारित पात्रता के मापदण्डों को पूर्ति होने के कारण पेंशन सहायता स्वीकृत किए जाने की अनुशंसा की जाती है।

दिनांक ....

स्थान ....

नाम/पदनाम/हस्ताक्षर
ग्राम पंचायत/ जनपद पंचायत/नगर निगम/
नगर पालिका/नगर परिषद
द्वारा अधिकृत अधिकारी

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 नियम 5(1) के अंतर्गत अभिस्वीकृति का प्रारूप

पदाभिहित अधिकारी के कार्यालय का नाम एवं पता ....
....

1. आवेदक का नाम एवं पता ....
....

2. पदाभिहित अधिकारी के कार्यालय में आवेदन प्राप्ति का दिनांक ....
....

3. सेवा का नाम जिसके लिये आवेदन दिया गया है ....

उन दस्तावेजों का विवरण जो सेवा प्राप्त करने के लिये आवश्यक है किन्तु ....
....

आवेदन के साथ संलग्न नहीं किये गये है ....

4. निश्चित की गई समय-सीमा की आखिरी तारीख ....

स्थान ....

दिनांक ....

प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर

नाम एवं पदनाम (मुद्रा सहित)

नोट :- आवेदन के साथ समस्त दस्तावेज प्राप्त न होने की स्थिति में उपरोक्त बिन्दु-4 में उल्लेखित आखिरी तारीख नहीं दी जायेगी।

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 नियम 16 के अंतर्गत

पदाभिहित अधिकारी के कार्यालय में संधारित की जाने वाली पंजी का प्रारूप पदाभिहित अधिकारी के कार्यालय का नाम ....

माह ....वर्ष ....

क्रमांक	आवेदिका का नाम एवं पता	सेवा जिसके लिये आवेदन दिया गया है	निश्चित की गई समय-सीमा की आखिरी तारीख	आवेदन स्वीकृत/ निरस्त	पारित आदेश का दिनांक एवं विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)